Major Achievements, significant Development and important events of Ministry of Home Affairs for the month of September, 2025.

The Hon'ble President of India assented to the "The Himachal Pradesh Loktantra Prahri Samman (Repealing) Bill, 2023" on 08.09.2025.

2. The Hon'ble President of India assented to the "The Factories (Uttar Pradesh Amendment) Bill, 2024" on 23.09.2025.

3. The instructions of the Hon'ble President for promulgating the "The Industrial Disputes (Tripura Third Amendment) Ordinance, 2025" were conveyed on 30.09.2025.

4. The Home Secretary reviewed the implementation of New Criminal Laws for Goa on 26.09.2025.

5. The Home Secretary convened meetings with Registrar Generals of 10 High Courts – Allahabad, Bombay, Karnataka, Kerala, Bihar, Punjab & Haryana, Delhi, Rajasthan, Telangana and Odisha.

6. A tripartite Suspension of Operation (SoO) Agreement on revised ground rules was signed with United Peoples' Front [UPF] and Kuki National Organization [KNO] of Manipur on 04.09.2025, which is valid upto 03.09.2026.

7. Vide MHA's Notification dated 26.09.2025, 9 districts and 21 Police Stations in 5 other districts of Nagaland, entire State of Manipur excluding the areas falling under the jurisdiction of 13 Police Stations of 5 districts and Tirap, Changland and Longding districts & the areas of 3 Police Stations in Namsai districts of Arunachal Pradesh have been declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (AFSPA) for a further period of six(6) months w.e.f. 01.10.2025. The Government of Assam declared 3 districts (Tinsukia, Charaideo & Sivasagar) as 'disturbed area' under AFSPA for a further period of six (6) months w.e.f. 01.10.2025 vide Notification dated 27.09.2025.

8. The National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) [NSCN(K)] has been declared as 'unlawful association' for a further period of 5 years w.e.f. 28.09.2025 under the provisions of Section 3 of the UAPA, 1968 vide MHA's Notification No. 4241(E) dated 22.09.2025.

9. Ceasefire Agreement with the National Socialist Council of Nagaland (Khaplang) NSCN(K) Nikki) has been extended for a further period of one year w.e.f. 08.09.2025 i.e. upto 07.09.2026.

10. Ministry of Home Affairs has conveyed administrative approval and expenditure sanction for construction of 15 new building projects, approved under the Umbrella Scheme of Police Infrastructure.

11. Following meetings were held under the Chairmanship of Union Home Secretary: -

(i) Meeting for Sub-Committee of National Executive committee (SC-NEC) on 09.09.2025 to consider the National Project for Strengthening Community Based Disaster Risk Reduction Initiatives in Panchayati Raj and the proposals of Expansion & Modernization of Fire Services for the states of Haryana, Madhya Pradesh and Rajasthan.
(ii) Meeting with all the stakeholders to review the status of technological solutions, i.e. Comprehensive Integrated Border Management System (CIBMS) in UT of Jammu and Kashmir along Indo-Pakistan Border on 15.09.2025.
(iii) Meeting of the Multi Stakeholder to discuss the issues related to 'increasing trend of natural disasters events in Hill States of Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh & Uttarakhand and on 23.09.2025.
(iv) Review of Model Home Guards Bill and Civil Defence Act/Rules and meeting for project proposal on Fire Dashboard on 26.09.2025.

12. Following Notifications were issued for delegation of powers to the Administrator (whether known as the Lieutenant Governor or the Governor or the Administrator) of the Union territories:

i. S.O. no. 4430(E) dated 29.09.2025 under The Factories act, 1948 (63 of 1948).
ii. S.O. no. 4431(E) Dated 29.09.2025 under The Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947).
iii. S.O. no. 4432(E) Dated 29.09.2025 under The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970).
iv. S.O. no. 4433(E) Dated 29.09.2025 under The Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948).
v. S.O. no. 4433(E) Dated 29.09.2025 under The Motor Transport Workers Act, 1961 (27 of 1961).

13. The following sub-ordinate legislation under the Immigration and Foreigners Act, 2025 have been notified on 01.09.2025 and 02.09.2025: -

i. The Immigration and Foreigners Rules, 2025
ii. The Immigration and Foreigners Order, 2025.
iii. The Immigration and Foreigners (Exemption) Order, 2025
iv. The notification delegating certain powers and functions to the State Government, Union Territories etc.
v. The notification on compounding of certain offenses
vi. The notification notifying the designated immigration posts
vii. The notification authorizing Superintendent of Police or Deputy Commissioner of Police in each District as Registration Officers
viii. The notification appointing the Superintendent of Police or Deputy Commissioner of Police in each District as civil authorities
ix. The notification appointing Foreigners Regional Registration Officers as civil authorities
x. The notification authorizing Foreigners Regional Registration Officers as Registration Officers

*****

सितंबर, 2025 माह के लिए गृह मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण घटनाक्रम और मुख्य कार्यक्रम।

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 08.09.2025 को "हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान (निरसन) विधेयक, 2023" को स्वीकृति दी।

2. भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 23.09.2025 को "कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024" को स्वीकृति दी।

3. "औद्योगिक विवाद (त्रिपुरा तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 2025" को प्रख्यापित करने संबंधी माननीय राष्ट्रपति के अनुदेश दिनांक 30.09.2025 को दिए गए।

4. गृह सचिव ने दिनांक 26.09.2025 को गोवा के लिए नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की।

5. गृह सचिव ने 10 उच्च न्यायालयों - इलाहाबाद, बॉम्बे, कर्नाटक, केरल, बिहार, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना और ओडिशा के महापंजीयकों के साथ बैठकें आयोजित कीं।

6. मणिपुर के कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन [केएनओ] के साथ संशोधित आधारभूत नियमावली पर त्रिपक्षीय ऑपरेशन निलंबन (एसओओ) समझौते पर दिनांक 04.09.2025 को यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट [यूपीएफ] और हस्ताक्षर किए गए, जो दिनांक 03.09.2026 तक वैध है।

7. गृह मंत्रालय की दिनांक 26.09.2025 की अधिसूचना के तहत, नागालैंड के 9 जिलों और 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस थानों, पूरे मणिपुर राज्य, जिसमें 5 जिलों के 13 पुलिस थाने और तिरप, चांगलैंड और लोंगडिंग जिलों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र शामिल नहीं हैं और अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिलों के 3 पुलिस थानों के क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2025 से छः (6) महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है। असम सरकार ने दिनांक 27.09.2025 की अधिसूचना के तहत दिनांक 01.10.2025 से छः (6) महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए एएफएसपीए के अंतर्गत 3 जिलों (तिनसुकिया, चराइदेव और शिवसागर) को 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया है।

8. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)] को गृह मंत्रालय के दिनांक 22.09.2025 की अधिसूचना संख्या 4241 (अ) के तहत यूएपीए, 1968 की धारा 3 के प्रावधानों के अधीन दिनांक 28.09.2025 से 5 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए 'विधि-विरूद्ध संगठन' घोषित किया गया है।

9. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (खापलांग) [एनएससीएन (के)] (निक्की) के साथ युद्धविराम समझौते को दिनांक 08.09.2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 07.09.2026 तक बढ़ा दिया गया है।

10. गृह मंत्रालय ने पुलिस अवसंरचना की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत स्वीकृत 15 नई भवन परियोजनाओं के निर्माण के लिए सक्षम प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

11. केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं: -

i. पंचायती राज में समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परियोजना तथा हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिनांक 09.09.2025 को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की उप-समिति (एससी-एनईसी) की बैठक।
ii. जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा पर प्रौद्योगिकीय समाधान, अर्थात- व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) की स्थिति की समीक्षा के लिए दिनांक 15.09.2025 को सभी हितधारकों के साथ बैठक।
iii. जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दिनांक 23.09.2025 को बहु-हितधारकों की बैठक।
iv. दिनांक 26.09.2025 को आदर्श होम गार्ड्स विधेयक एवं सिविल सुरक्षा अधिनियम/नियमों की समीक्षा एवं फायर डैशबोर्ड पर परियोजना प्रस्ताव हेतु बैठक।

12. संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक (चाहे उन्हें उप-राज्यपाल या राज्यपाल या प्रशासक के रूप में जाना जाए) को शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गईं:

i. का.आ. 4430(अ) दिनांक 29.09.2025 कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के तहत।
ii. का.आ. 4431(अ) दिनांक 29.09.2025 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के तहत।
iii. का.आ. 4432(अ) दिनांक 29.09.2025 ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) के तहत।
iv. का.आ. 4433(अ) दिनांक 29.09.2025 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के तहत।
v. का.आ. 4434(अ) दिनांक 29.09.2025 मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27) के तहत।

13. आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत निम्नलिखित अधीनस्थ कानून दिनांक 01.09.2025 और 02.09.2025 को अधिसूचित किए गए हैं: -

i. आव्रजन और विदेशी विषयक नियमावली, 2025
ii. आव्रजन और विदेशी विषयक आदेश, 2025
iii. आव्रजन और विदेशी विषयक (छूट) आदेश, 2025
iv. राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र आदि को कुछ शक्तियां और कार्य प्रत्यायोजित करने वाली अधिसूचना।
v. कुछ अपराधों के शमन पर अधिसूचना
vi. नामित आव्रजन चौकियों को अधिसूचित करने वाली अधिसूचना
vii. प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त को पंजीकरण अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने वाली अधिसूचना
viii. प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त को सिविल प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना
ix. विदेशी विषयक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों को सिविल प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना
x. विदेशी विषयक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों को पंजीकरण अधिकारी के रूप में प्राधिकृत करने वाली अधिसूचना

*****

सं – I-34020/02/2025-समन्वय-I
भारत सरकार, गृह मंत्रालय
(समन्वय-Iअनुभाग)

कार्तव्य भवन-3, 4th मंजिल, नई दिल्ली
दिनांक: 30 अक्टूबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय : माह सितम्बर, 2025 के प्रमुख उपलब्धियों को गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने से सम्बंधित |

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त उल्लिखित विषय पर गृह मंत्रालय की सितम्बर, 2025 माह की प्रमुख उपलब्धियों/घटनाओं से संबंधित सामग्री (द्विभाषी) को प्रेषित करने का निदेश प्राप्त हुआ है | आपसे अनुरोध है कि प्रेषित की जा रही सामग्री को गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर **" प्रमुख उपलब्धियां, महत्वपूर्ण विकास और महत्वपूर्ण घटनाएं"** कैप्शन के तहत अपलोड किया जाये |

संलग्नक : उपरोक्तानुसार |

Digitally signed by
Kiran Gopal Dhakate
Date: 30-10-2025
11:03:29

(किरण गोपाल धकाते)
अवर सचिव (समन्वय -I)
दूरभाष: 24010218

सेवा में,

अवर सचिव (आईटी)
नॉर्थ ब्लॉक, गृह मंत्रालय

ईमेल : soit@nic.in